दिनांक 26.05.2017 को प्रधान सचिव परिवहन विभाग की अध्यक्षता में एच.एस.आर.पी. योजना के क्रियान्वयन के प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही –

दिनांक 26.05.2017 को प्रधान सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में एच.एस.आर.पी. योजना के क्रियान्वयन के प्रगति की समीक्षा विश्वेशरैय्या भवन, बेली रोड, पटना स्थित कार्यालय कक्ष में की गई। इस बैठक में विभाग की ओर से राज्य परिवहन आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी एवं कार्यवाहक सहायक तथा वेंडर की ओर से श्री मुकेश मलहोत्रा एवं श्री अशोक शर्मा द्वारा भाग लिया गया।

इस बैठक में निम्न निर्णय लिया गया–

(1) योजना के क्रियान्वयन के असंतोषजनक प्रगति के बिन्दु पर पृच्छा के आलोक में वेंडर प्रतिनिधि द्वारा इसे स्वीकार करते हुए बताया गया कि इसका प्रमुख कारण डीलर प्वांइट पर निबंधन हेतू स्थगन आदेश विभाग द्वारा जारी किया जाना एवं जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा विभागीय निदेश के पश्चात् भी इस ओर कोई ध्यान नही दिया जाना है।

(2) समीक्षा के क्रम में वेंडर द्वारा यह भी बताया गया कि लगभग सैतीस हजार इम्बौस्ड प्लेटों के वाहन स्वामी के टर्नअप नही होने के कारण वाहनों में नही लगाया जा सका है। इसपर सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को अर्द्धसरकारी पत्र लिखने का निर्णय लिया गया है।

(3) दिनांक 26.04.2017 को विभिन्न जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा यह शिकायत की गई थी कि वेंडर द्वारा कार्य नही किया जा रहा है के आलोक में वेंडर प्रतिनिधि ने बताया कि वैसे जिलों में जिसमे एच. एस. आर. पी. आर्थोराइजेशन स्लीप नही कटती है वहा स्टाफ तो आते है लेकिन कोई कार्य नही रहने के कारण जल्द चले जाते है। इसपर उन्हे निदेश दिया गया कि वेंडर अपने कर्मियों को कार्यालय अवधि तक रूकने का निदेश दे।

(4) वेंडर को यह भी निदेश दिया गया कि वे अपनी सभी समस्याओ को पत्र के रूप में समेकित कर सूचित करे।

(5) वेंडर का आग्रह कि एम. आइ. एस. की सुविधा उपलब्ध कराने हेतू कार्यालय में सर्वर बैठाने अथवा एन. आइ. सी. से बैठक कर इसे वाहन के साथ इन्टरफेस करने का प्रावधान किया जाय। इसके आलोक में विशेष कार्य पदाधिकारी को निर्णय लेने हेतू प्राधिकृत किया गया है।

(6) सभी मुद्दो को समेटते हुए परिपत्रनुमा एक पत्र सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को लिखने एवं इसकी प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी को देने का निदेश दिया गया है।

(7) समाचार पत्र में पुनः सूचना प्रकाशित करने का निदेश दिया गया, जिसमें वाहन स्वामियों से वाहनों पर प्लेट एफिक्स कराने, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन, सरकारी वाहनों पर भी इसे अनिवार्यतः लगाया जाना एवं नये एवं पुराने वाहनों प्लेट नही लगाए जाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्रवाई का बिन्दु समाहित हो।

(8) स्थानीय निकाय चुनाव के समापन, अर्थात 20 जून, 2017 के पश्चात् सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों एवं वेंडर के साथ इस बिन्दु पर बैठक करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की।

प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 2/प्र एच. एस. आर. पी. (विविध)–05/2016 2865 परि0 पटना, दिनांक 30/5/17

E-mail

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/विशेष कार्य पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं उत्सव सेफ्टी सिस्टम प्रा0 लि0 एफ. 48, मायापुरी इण्डिसट्रीयल एरिया फेज–11 नई दिल्ली–110064 एवं इनके Email:-info@utsavhsrp.com पर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना